भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1485
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

आईआईटी/एनआईटी/आईआईएम में पढ़ाई छोड़ने और आत्महत्या की दर

†1485. श्री के. राधाकृष्णनः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने छात्रों के बीच में पढ़ाई छोड़ने और आत्महत्या करने की दर में तेजी से वृद्धि होने की सूचना दी है;
(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों और आत्महत्या की दर का वर्ष-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का उक्त राष्ट्रीय संस्थानों में बीच में पढ़ाई छोड़ने और आत्महत्या की इस बढ़ी हुई दर के संदर्भ में कोई जांच कराने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के पास कई विकल्प होते हैं और वे एक पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम से दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए उच्चतर शिक्षा में ड्रॉप आउट की कोई अवधारणा नहीं है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) पुलिस द्वारा दर्ज आत्महत्या के मामलों से आत्महत्या संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। देश में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) रिपोर्ट में प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। छात्र आत्महत्याओं का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा एडीएसआई रिपोर्ट में उपलब्ध है, जिसे

https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html पर देखा जा सकता है।

जहां तक केंद्र सरकार का संबंध है, आत्महत्या के मामले से निपटने के लिए सरकार बहुआयामी उपाय कर रही है और आत्महत्या की घटनाओं से बचने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक और भावनात्मक कल्याण हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रही है।

शिक्षा मंत्रालय की एक पहल, मनोदर्पण, मानसिक और भावनात्मक कल्याण हेतु विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है जैसे कि राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन जो प्रशिक्षित परामर्शदाता के माध्यम से कॉल करने वालों को मार्गदर्शन प्रदान कर रही है; और लाइव इंटरैक्टिव सत्र 'सहयोग' व वेबिनार 'परिचर्चा' जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों सहित सभी हितधारकों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से आयोजित की जाती है। ये सत्र पीएम ई-विद्या चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं और 'एनसीईआरटी के आधिकारिक' यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं।

यूजीसी ने जनवरी, 2023 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एक परामर्शिका जारी की थी, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति को परिचालित किया गया था। यूजीसी ने दिनांक 13.04.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्रों का स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भलाई को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए थे।

शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई, 2023 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में विद्यार्थियों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए एक व्यापक रूपरेखा भी प्रचालित की है, जिसमें संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे इसे अपनी कार्यप्रणाली में सक्रिय रूप से शामिल करें और विद्यार्थी समुदाय में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करें। तदनुसार, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी रुड़की ने मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन संबंधी कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, प्रतिरक्षात्मकता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत की। इसमें ऑनलाइन और व्यक्तिगत सत्र, नवीन मानसिक स्वास्थ्य प्रथाओं वाली संस्थाओं का दौरा तथा वार्षिक राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन शामिल हैं। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का शीघ्र समाधान करने के लिए संकाय को सशक्त बनाना है।

मानसिक विकारों की समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफ़डब्ल्यू) देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के स्तर पर आउट पेशेंट सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक उपाय, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों के लिए निरंतर देखभाल और सहायता, दवाएं, प्रसार सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.81 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्तरोन्नत किया गया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दी जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के तहत दी जाने वाली सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी जोड़ा गया है।

देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए वर्ष 2022 में एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। दिनांक 02.02.2026 की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स (मानस) प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 32,83,000 से ज़्यादा कॉल हैंडल किए गए हैं। सरकार ने टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया है, एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे मानसिक कल्याण से मानसिक विकारों तक के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा ऑडियो कॉलिंग सेवा के स्तरोन्नयन के रूप में टेली-मानस के तहत एक वीडियो परामर्श सुविधा शुरू की गई है।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 की धारा 115 के तहत आत्महत्या को अपराध न मानकर इसे बहुत अधिक तनाव का परिणाम मानता है जिसके साथ ही, आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति की देखभाल, उपचार और पुनर्वास के लिए सरकार के उत्तरदायित्व को अनिवार्य किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 24.03.2025 के आदेश के अनुसरण में 2025 की आपराधिक अपील संख्या 1425 में अमित कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में छात्रों द्वारा आत्महत्या के प्रमुख कारणों की पहचान करने, मौजूदा नियमों का विश्लेषण करने और छात्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिफारिशों का सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. रवींद्र भट्ट, पूर्व न्यायाधीश, एससीआई की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) का गठन किया गया है।

*****